न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता, RAS.

प्रकरण संख्या :– 13/2025 GCMS No. 2025/39

परिवादी :–

1. श्री बाबुलाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डीडवाना–कुचामन (राज.)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री वली मोहम्मद पुत्र रमजान मोहम्मद (खाद्य–कारोबारकर्ता) एवं मालिक निवासी भांवता रोड़ शिवजी के मन्दिर के पास कुचामनसिटी
   फर्म – मॉ अन्नपूर्णा, नियर रिलायंस पेट्रोल पम्प, मेघा हाईवे रोड़, कुचामनसिटी।

" परिवाद अन्तर्गत धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 '

उपस्थिति :– अभियुक्त श्री वली मोहम्मद ।

–:निर्णय :–

दिनांक :– 19/11/2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री बाबुलाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीडवाना–कुचामन ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.12.2024 को समय 11.30 A.M. पर फर्म मॉ अन्नपूर्णा, नियर रिलायंस पेट्रोल पम्प, मेघा हाईवे रोड़, कुचामनसिटी। पर पॅहुचा। वहां पर श्री वली मोहम्मद पुत्र रमजान मोहम्मद कुचामनसिटी मिले, श्री वली मोहम्मद को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री वली मोहम्मद ने स्वयं को मैसर्स मॉ अन्नपूर्णा नियर रिलायंस पेट्रोल पम्प, मेघा हाईवे रोड़ कुचामनसिटी का खांद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य अनुज्ञा–पत्र, स्वयं के आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छाया प्रतियॉ प्रस्तुत की। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **पनीर (लूज)** लगभग 01 किलोग्राम एक डी–फ्रीज रखे है के अमानक/मिथ्याछाप ... 800 ग्राम **पनीर (लूज)**

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:36 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

खाद्य–कारोबारकर्ता एवं मालिक श्री वली मोहम्मद को सूचित करते हुये वास्ते नमूना जॉच खरीदा, जिसकी कीमत श्री वली मोहम्मद को 240/– रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य–कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तरदीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. **5 ए** की प्रतियॉ तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिस पर वली मोहम्मद एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर अपने हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता मालिक वली मोहम्मद को उपलब्ध कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदसुदा **पनीर (लूज)** 800 ग्राम को चौड़े मुंह की चार साफ सुखी प्लास्टिक बोतलो में बराबर–बराबर मात्रा में डालकर उसमें 20–20 बूंदे फॉर्मेलीन 40% डालकर ढ़क्कन को एयर टाईट बंद कर उन पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. नागौर के कोड एवं क्रमांक Q-3284 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्ष करवाये। चारो नमूना भागो अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ.नागौर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. Q-3284 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य–कारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षकर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो के रेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर सील बन्द चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी अपने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं.6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिसमें नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगल कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:36 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील कर मोहर कर खाद्य विशलषक अजमेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 के अग्र भाग पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के क्रमांक/चिकि/एफएसएसए/जारि/2025/80 दिनॉक 03.02.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. **LS/1435/Act/2024/08** दिनांक **03.01.2025** के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **पनीर (लूज)** का नमूना **अनसेफ** होना पाया। श्री वली मोहम्म्द मैसर्स मॉ अन्नपूर्णा नियर रिलायंस पेट्रोल पम्प मेघा हाईवे रोड़ कुचामन द्वारा खाद्य विश्लेषक अजमेर की जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने के उपरांत उन्होने पुनः जांच हेतु FORM-VIII मय डीडी के साथ आवेदन किया। नमूना पुनः जांच हेतु रेफरल खाद्य प्रयोगशाला, पुणे भिजवाया गया, जिसकी जांच सर्टिफिकेट क्रमांक/**Certificate No. RFL/P/DO-278/25/317/2025** दिनांक 29.04.**2025** के अनुसार **पनीर (लूज)** का नमूना Substandard होना पाया गया। मेमोरेण्डम एवं जांच सर्टिफिकेट की प्रति प्रस्तुत की गई है। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना–कुचामन ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। उक्त प्रकरण में श्री वली मोहम्मद ने खाद्य पदार्थ **पनीर (लूज)** Substandard का विक्रय करके F.S.S.A. 2006 की धारा 3 (1) {zx} Substandard {B.R.Of Extracted 40'c 48.9 In Place of Result 40-44 for milk fat}, धारा 26(2)(ii) का उल्लघंन किया है, जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उक्त आवेदन पत्र के साथ खाद्य खरीद रसीद मूल, फर्द रिपोर्ट मूल, फार्म नं. 5 ए मूल, खाद्य सुरक्षा अनुज्ञा–पत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रति, मुख्य खाद्य विशलेषक द्वारा खाद्य नमूना Q-3284 के भाग की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी को नमूने के द्वितीय तृतीय पार्ट चतुर्थ पार्ट जमा कराने की रसीद, प्राप्ति रसीद की प्रति, अभिहित अधिकारी द्वारा जारी पत्र की प्रति, अभियुक्त का रेफरल [illegible] जांच करवाने का प्रार्थना–पत्र की

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:36 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

प्रति, मेमोरेण्डम एवं अभिहित अधिकारी नागौर द्वारा विश्लेषण सूचना पत्र एवं रैफरल खाद्य प्रयोगशाला मैसूर की जांच रिपोर्ट प्रति, अभियोजन संस्थित किये जाने की प्रति प्रस्तुत की है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना–कुचामन द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण दिनॉक 28.08.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किया गया। अभियुक्त श्री वली मोहम्मद पुत्र रमजान मोहम्मद कुचामनसिटी ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि दिनॉक 27.12.2024 को करीबन 11.30 ए.एम. पर श्री बाबुलाल जी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स मॉ अन्नपूर्णा में आकर पनीर की जांच की गई, जिसके नमूना संख्या Q-3284 की पुनः जांच में अर्थात जांच रिपोर्ट में उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत Sub Standard होना पाया गया है। भविष्य में ऐसी गलत दुबारा नही होगी, जिसके लिए वह सदैव पाबन्द रहेगा। इसी गलती दुबारा हेती है आपके द्वारा कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र रहेगे।

प्रकरण में तथ्यों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर Food Analyst Public Health Laboratory Ajmer Rajasthan के **FORM- VII A** रिपोर्ट नं.L.S/1435/Act/ 2024/08 दिनांक 03.01.2025 का अवलोकन किया गया, जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:–

Opinion- The sample of **Paneer** bearing Code No. and Sr. No **Q-3284** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur is **UNSAFE FOOD** under section **3(1)(zz)(iv)** of Food Safety and Standards Act-2006 as the milk fat Substituted wholly by any inferior or cheaper substance.

उक्त जांच रिपोर्ट Food Analyst Public Health Laboratory Ajmer Rajasthan के **FORM- VII A** रिपोर्ट नं.L.S/1435/Act/ 2024/08 दिनांक 03.01.2025 की अपील अभियुक्त वली मोहम्मद द्वारा FORM VIII में 2360/– रूपये का डीडी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के यहॉ की गई। जिसके संबंध में सीएमएचओ नागौर द्वारा अपील स्वीकार कर नमूना Q-3284 को **FORM- VI A** में **The Director State Public Health Laboratory Stavely Road**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:36 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

Cantonment Water Work Compound, Near St.Mary School Pulgate PUNE 411001 (Maharastra) अपने पत्रांक **FSSA/2025/131 Date 09-04-2025** के द्वारा भेजी गई। उक्त नमूना की पुनः जांच कर रिपोर्ट **FORM XI (See rule 2.4.6(3)** पत्रांक **FRFL/P/DO-278/25/317/2025 Date 29-04-2025** के द्वारा सीएचएमओ नागौर के यहाँ प्राप्त हुई। जिसके अनुसार

Opinion- I am of the opinion that, the sampe "**Paneer (Loose)**" bearing Code No. **Q-3284 dose not conforms** to the standards as per Regulation **No. 2.1.16** of **Paneer** , as per the Food Safety and standards (Food Products Standards & Food Additives) Regulations, 2011 and Further amendments. on the basis of tests performed. Hence found to be **Sub-Standard** as per section 3 (1)(zx) of Food Safety & Standards Act-2006

पनीर का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा **3(1)(zz)(iv)** के अन्तर्गत असुरक्षित खाद्य है, क्योंकि इसमें दूध की वसा को पूर्णतः किसी घटिया या सस्ते पदार्थ से प्रतिस्थापित किया गया है।

अतः खाद्य कारोबारकर्ता श्री वली मोहम्मद से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **पनीर (लूज)** नमूना नं. **Q-3284** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पदनामित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना कुचामन के कोड **Q-3284** वाले पनीर का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा **3(1)(zz)(iv)** के अन्तर्गत असुरक्षित खाद्य है, क्योंकि इसमें दूध की वास को पूर्णतः किसी घटिया या सस्ते पदार्थ से प्रतिस्थापित किया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26, उपधारा 2(अ) एंव 58 इस प्रकार हैः–

धारा 26ः– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु काः–

(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में, स्वयं विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराएगा।

धारा 58

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:36 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार **पनीर (लूज)** में खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु माँ अन्नपूर्णा, नियर रिलायंस पेट्रोल पम्प, मेघा हाईवे रोड़, कुचामनसिटी मालिक श्री वली मोहम्मद पुत्र रमजान मोहम्मद कुचामनसिटी दोषी व उत्तरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 58 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत अभियुक्त माँ अन्नपूर्णा, नियर रिलायंस पेट्रोल पम्प, मेघा हाईवे रोड़, कुचामनसिटी मालिक श्री वली मोहम्मद पुत्र रमजान मोहम्मद कुचामनसिटी पर राशि रुपये 11000/–(अक्षरे रुपये ग्यारह हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

आदेश दिनांक 19/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राकेश कुमार गुप्ता)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:36 IST
Reason: SelfAttested